वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 223/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-23.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 23.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-तहबरपुर:-दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 21-06-2025 को वादी ध्यानचन्द यादव पुत्र फेकू यादव ग्राम-भोपतपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी पुत्री की दहेज के लिए हत्या के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 143/2025 धारा 80,85,351(3),82(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 D.P. ACT बनाम अभियुक्तों

1- विवेक कुमार यादव पुत्र विजय चन्द यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (पति)

2.कमलावती पत्नी विजय चन्द यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (सास)

3.विजय चन्द यादव पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (ससुर)

4. बृजेश यादव पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (जेठ)

5. पूनम यादव पत्नी बृजेश यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (जेठानी) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 23.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों

1- विवेक कुमार यादव पुत्र विजय चन्द यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (पति)

2.विजय चन्द यादव पुत्र स्व0 रामगति यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (ससुर)

3. बृजेश यादव उर्फ विरेश पुत्र विजय चन्द, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (जेठ) को उनके घर ग्राम सोफीपुर से समय करीब 04.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1- विवेक कुमार यादव पुत्र विजय चन्द यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (पति)

2.विजय चन्द यादव पुत्र स्व0 रामगति यादव, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (ससुर)

3. बृजेश यादव उर्फ विरेश पुत्र विजय चन्द, निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (जेठ)

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0स0 143/2025 धारा 80(2),85,351(3),82(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 D.P. ACT थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 बृजभान यावद थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 रेखा देवी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

<u>**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.06.2025, जनपद आजमगढ़**</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **01 आरोपी** अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा **अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में** जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 55 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें **अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप मे** 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 55 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 13.05.2010 को **वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राम सकल यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त संतराज यादव पुत्र छविराम यादव निवासी बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** के कब्जे से दिनांक-13.05.2010 को चेकिंग के दौरान कुल **410 डायजापाम** की गोली बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0- 737/2010 धारा-8/22 NDPS Act** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 23.06.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतराज यादव पुत्र छविराम यादव निवासी बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 55 दिन के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.06.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 45 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। **थाना सिधारी** में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप मे **01 आरोपी** अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 45 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 04.10.2010 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जयनाथ सिंह यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ खुरुचुन सिंह पुत्र देवनरायन सिंह निवासी संवेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से दिनांक- 04.10.2010 को चेकिंग के दौरान **कुल 100 डायजापाम** की गोली बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर **मु0अ0सं0- 1294/2010 धारा-8/21 NDPS Act** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 23.06.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ खुरुचुन सिंह पुत्र देवनारायन सिंह निवासी संवेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 45 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट

व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ थाना एएचटी जनपद आजमगढ़ की मासिक समीक्षा बैठक

आज दिनांक 23.06.2025 दिन सोमवार को समय 12.00 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार जनपद आज़मगढ़ में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात / नोडल अधिकारी थाना एएचटी जनपद आजमगढ़ के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर महोदया की अध्यक्षता में जनपद के व्यापारी बंधु, पेट्रोल पम्प एवं बैंक मित्रों/माइक्रों फाइनेन्स कर्मियों को अत्यधिक प्रभावी बनाये जाने एवं उनकी सुरक्षा सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में उपस्थित व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया कि

01.थाना क्षेत्र जीयनपुर के व्यापार मण्डल अध्यक्ष द्वारा जीयनपुर चौक पर लगातार लगने वाले जाम के बारे में अवगत कराया गया।

02.आजमगढ़ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के सदर अस्पताल के सामने ई-रिक्शा चालको द्वारा रोड जाम करने से होने वाली समस्या के बारे में बताया गया।

03. नगर अध्यक्ष व्यापार मण्डल द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली के कोर्ट चौराहे पर अत्यधिक जाम लगने के कारण आवागमन मे होने वाले समस्या से अवगत कराया गया।

04.तरवां थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले श्री राम किसान सेवा केन्द्र के मालिक के द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व मेरे पेट्रोल पम्प के आफिस में 5-6 लोग घुस आये और गाली गलौज करते हुए आफिस में तोड़ फोड़ किये। उपरोक्त समस्या के त्वरित निराकरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ महोदया द्वारा उ0नि0 यातायात को निर्देशित किया गया कि थाना क्षेत्र कोतवली के कोर्ट चौराहे के पास लगने वाले जाम को हटवाया जाये तथा सदर अस्पताल के सामने ई-रिक्शा के द्वारा लगने वाले जाम को भी हटवाया जाये व ई-रिक्शा चालको को निर्देशित किया जाय कि अपने अपने ई-रिक्शा को व्यवस्थित ढंग से सड़क के किनारे खड़ा करें। जीयनपुर चौक पर लगातार लग रहे जाम को हटाने के लिए उ0नि0 यातायात को एक पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाने हेतु निर्देशित किया गया तथा थाना क्षेत्र तरवां के अन्तर्गत आने वाले पेट्रोल पम्प पर हुई घटना के सम्बन्ध में श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर महोदया द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय से घटना निस्तारण के सम्बन्ध में वार्ता की गई तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर महोदया द्वारा बैठक मे उपस्थित व्यापारीगणों को सुझाव दिया गया कि सभी व्यापारीगण अपनी अपनी दुकान के सामने रोड पर लगे सफेद पट्टी के अन्दर अपनी अपनी दुकान लगाये। सभी सर्राफा व्यापारी अपनी – अपनी दुकानों पर अच्छे किस्म का कैमरा लगवाये तथा कैमरे का फोकस मुख्य मार्ग की तरफ रखे जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। थाना क्षेत्र कोतवाली के कटरा तिराहे पर सर्वाजनिक जमीन में मस्जिद के पीछे नीम का सूखा पेड़, जो कभी भी गिर सकता था, को श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदया व आर0आई0 नगरपालिका के सहयोग से बिना किसी जन हानि के हटा दिया गया, उक्त के सम्बन्ध में मीटिंग में उपस्थित व्यापारियों द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदया को व आर0आई0 नगरपालिका को सम्मानित किया गया।

उक्त बैठक में **अभयराज मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी, उ0नि0 सूर्यपाल थाना कोतवाली, आर0 आई0 नगर पालिका आजमगढ़, उ0नि0 यातायात धन्नजय शर्मा व थाना एएचटी के समस्त अधि0/कर्मचारीगण,जनपद के व्यापारी बन्धु, पेट्रोल पम्प मालिक,सर्राफा व्यापारी** आदि मौजूद रहे।